बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :— DoH/SS/10/2025 – भा०भा०स्था० – 159 – /कृ०, पटना, दिनांक–05.10., 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

(+) **अनौपचारिक रूप से परामर्शित**

विषय : **राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेटस, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 3826.6000 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेटस, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 3826.6000 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों के फसलोत्तर प्रबंधन यथा – कृषि उत्पाद को कीट व्याधि एवं परिवहन के क्रम में होने वाली क्षति से बचाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, फ्रूट ट्रैप बैग एवं लेनो बैग को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराकर फसलों के मूल्य में संवर्द्धन करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है।
3. इस योजनांतर्गत प्लास्टिक क्रेट्स एवं लेनो बैग का लाभ राज्य के सभी 38 जिलों के सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों तथा फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ सिर्फ केला उत्पादक किसानों को दिया जायेगा। योजना का आकार अनुसूची–1 एवं जिलावार, घटकवार लक्ष्य विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।
4. इस योजना का कार्यान्वयन खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम आधारित उद्यानिक फसलों के लिए किया जायेगा। तद्‌लोक में योजना हेतु स्वीकृत राशि 3826.6000 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये का व्यय खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना के लिए चयनित तीनों उपादानों यथा प्लास्टिक क्रेट्स, फ्रूट ट्रैप बैग एवं लेनो बैग के लिए लक्ष्य का निर्धारण खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में उत्पादित उद्यानिक उत्पाद की प्रकृति एवं मात्रा के अनुरूप आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. इस योजना अन्तर्गत प्रति कृषक हेतु प्लास्टिक क्रेट्स न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50, लेनो बैग न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 1000 तथा फ्रूट ट्रैप बैग न्यूनतम 300 एवं अधिकतम 10000 की संख्या में लाभ दिया जायेगा।
6. इस योजनान्तर्गत प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट बैग का यूनिट कॉस्ट फरवरी–2025 में प्रकाशित ई–निविदा में प्राप्त L-1 दर क्रमशः 400.00 रूपये, 20.00 रूपये, एवं 30.00 रूपये रखा गया है एवं अनुदान दर की राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुरूप ही प्लास्टिक क्रेट्स एवं लेनो बैग पर 80 प्रतिशत तथा फ्रूट ट्रैप बैग पर 50 प्रतिशत रखी गयी है।
7. इस योजना के लिए चयनित तीनों उपादानों के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह मार्च, 2025 में ई. निविदा के माध्यम से चयनित एवं सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025–26 में आपूर्ति हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ताओं का जिलावार सम्बद्धन एवं उपादान वितरण के भौतिक लक्ष्य का आवंटन पारदर्शिता के साथ उद्यान निदेशालय, बिहार द्वारा माननीय मंत्री, कृषि के अवलोकनोपरांत किया जायेगा।

8. "Vocal for Local" के तहत प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग का बिहार के अन्दर स्थानीय निर्माणकर्ता को लक्ष्य आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

9. योजनांतर्गत प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग के Specification से संबंधित विवरणी निम्नवत हैः–

S.N.	Item	Specification	Dimension
1	Plastic Crate	Inner Dimension	Length-49.50 cm to 52.50 cm Width-31.80 cm to 33.80 cm Height-27.20 cm to 28.30 cm
		Outer Dimension	Length-52.60 cm to 55.80 cm Width-34.90 cm to 37.10 cm Height-29.10 cm to 30.90 cm
		Handle Slot	9.5 cm X 2.5 cm
		Weight	1.523 kg to 1.600 kg
		Average thickness of Plastic Crate wall with ventilated side & Bottom with reinforced framework	2.25 mm to 2.75 mm
2	Banana Fruit Trap Bag	Polypropylene (PP) Spun Bond Non Woven Fabric, 17 Gram per Square Meter, White Colour with String attached to tie Banana bunch	Length 120 cm X Width 60 cm
3	Leno Bag	50 kg. Capacity, HDPE Woven Sack for packaging fruits & Vegetables 45 Gram per Square Meter	Length 120 cm X Width 60 cm

10. आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी को लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग पर ''उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार वित्तीय वर्ष 2025–26'' का Waterproof Label Tagging तथा प्लास्टिक क्रेट पर ''उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार वित्तीय वर्ष 2025–26'' Hot Embossing करते हुए क्रमांकन करना (Sl No. लिखना) अनिवार्य होगा।

11. विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। साथ ही विज्ञापन की प्रति सभी जिलों में स्थापित जिला कृषि कार्यालयों/जिला उद्यान कार्यालयों/प्रखंड विकास कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित कराये जायेंगे, ताकि कृषकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी कृषकों को विभाग के DBT Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा।

12. योजनान्तर्गत कृषकों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन की जाँच संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के पाँच कार्य दिवस के अन्दर करते हुये जिला उद्यान पदाधिकारी के लॉगिन में अग्रेषित किया जाएगा। संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में अग्रेषित आवेदनों की जाँच करते हुए उद्यान निदेशालय को अग्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी। तद्‌परान्त जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा अग्रेषण के माध्यम से उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराये गये आवेदनों की लॉटरी निकाली जायेगी। तद्‌परांत लॉटरी के माध्यम से चयनित कृषकों की सूची संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

13. संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर DBT-in Kind/DBT-in Cash के रूप में संबंधित कृषक/चयनित आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुदान राशि अंतरित किया जाएगा।

14. जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के अन्दर इस योजना का लाभ लिया जा चुका है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को दी गयी सामग्री का शत–प्रतिशत सत्यापन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत तथा प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान द्वारा जिलावार निर्धारित लक्ष्य का 02 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। उद्यान निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा भी आवश्यकतानुसार सत्यापन एवं योजना अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

16. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

17. इस योजनान्तर्गत राशि बजट में उपबंधित अनुपात सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 78.537 : 20.00 : 1.463 के अनुरूप व्यय निर्धारित है। सभी श्रेणी के लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

18. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस सृजन की संभावना शून्य है।

19. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS के माध्यम से निकासी किया जायेगा।

20. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

21. महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

22. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

23. योजना के लिए वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-3301 सब्सिडी।	19084.490	3005.29684
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-3301 सब्सिडी।	4860.000	765.32000
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-33 01 सब्सिडी।	355.510	55.98316
कुल	**24300.000**	**3826.6000**
पूर्व वित्तीय वर्ष (2024–25) का दायित्व		
सकल योग	**24300.000**	**3826.6000**

24. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1288 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव लोक वित्त समिति से दिनांक–04.08.2025 को अनुशंसित है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मद सं0–07 के रूप में दिनांक–03.10.2025 को संचिका संख्या–DoH/SS/10/2025 के पृ0 सं0– 44/टि0 पर प्राप्त है।

25. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

26. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या –DoH/SS/10/2025 के पृष्ठ संख्या–46/टि० पर दिनांक–04.10.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या– 791 दिनांक– 04.10.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Amit Ji\Sanction Order\Lenobag 3826 Lakh.doc

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक– 04.10.,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक– 04.10.,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक–04.10.,2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक– 04.10.,2025

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक– 04.10.,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव /निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान /संबंधित, जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/10/2025 - पी० पी० एम० - 159 - /कृ०, पटना, दिनांक– 04.10.,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बागवानी विकास योजनान्तर्गत राज्य योजना मद से विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) योजना वर्ष 2025–26 की कार्य योजना।						
						(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)
क्र० सं०	घटक	इकाई लागत (लाख रूपये में)	अनुदान प्रतिशत	निर्धारित सहायतानुदान की राशि (लाख रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1	प्लास्टिक क्रेट्स	0.00400	80%	0.00320	1025000	3280.00
2	लेनो बैग	0.00020	80%	0.00016	2385000	381.60
3	फ्रूट ट्रैप बैग	0.00030	50%	0.00015	1100000	165.00
				योग	**4510000**	**3826.60**

(अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र)

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–2

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बागवानी विकास योजनान्तर्गत राज्य योजना मद से विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) योजना वर्ष 2025–26 की जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्लास्टिक क्रेट्स		लेनो बैग		फ्रूट ट्रैप बैग		योग
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अररिया	15000	48.000	50000	8.000	20000	3.000	59.000
2	अरवल	10000	32.000	40000	6.400	20000	3.000	41.400
3	औरंगाबाद	28000	89.600	50000	8.000	20000	3.000	100.600
4	बांका	28000	89.600	50000	8.000	20000	3.000	100.600
5	बेगूसराय	70000	224.000	100000	16.000	30000	4.500	244.500
6	भागलपुर	25000	80.000	50000	8.000	30000	4.500	92.500
7	भोजपुर	15000	48.000	40000	6.400	30000	4.500	58.900
8	बक्सर	15000	48.000	30000	4.800	20000	3.000	55.800
9	दरभंगा	22000	70.400	40000	6.400	10000	1.500	78.300
10	पूर्वी चम्पारण	28000	89.600	50000	8.000	30000	4.500	102.100
11	गया	28000	89.600	50000	8.000	30000	4.500	102.100
12	गोपालगंज	15000	48.000	40000	6.400	20000	3.000	57.400
13	जमुई	15000	48.000	40000	6.400	20000	3.000	57.400
14	जहानाबाद	30000	96.000	50000	8.000	20000	3.000	107.000
15	कैमूर	20000	64.000	50000	8.000	20000	3.000	75.000
16	कटिहार	10000	32.000	60000	9.600	40000	6.000	47.600
17	खगड़िया	15000	48.000	50000	8.000	30000	4.500	60.500
18	किशनगंज	15000	48.000	50000	8.000	30000	4.500	60.500
19	लक्खीसराय	100000	320.000	50000	8.000	20000	3.000	331.000
20	मधेपुरा	15000	48.000	70000	11.200	40000	6.000	65.200
21	मधुबनी	20000	64.000	60000	9.600	30000	4.500	78.100
22	मुंगेर	20000	64.000	70000	11.200	40000	6.000	81.200
23	मुजफ्फरपुर	25000	80.000	100000	16.000	50000	7.500	103.500
24	नालंदा	45000	144.000	150000	24.000	30000	4.500	172.500
25	नवादा	30000	96.000	80000	12.800	30000	4.500	113.300
26	पटना	80000	256.000	150000	24.000	50000	7.500	287.500
27	पूर्णियाँ	25000	80.000	70000	11.200	50000	7.500	98.700
28	रोहतास	35000	112.000	80000	12.800	40000	6.000	130.800
29	सहरसा	15000	48.000	50000	8.000	30000	4.500	60.500
30	समस्तीपुर	30000	96.000	100000	16.000	50000	7.500	119.500
31	सारण	30000	96.000	80000	12.800	10000	1.500	110.300
32	शेखपुरा	16000	51.200	50000	8.000	10000	1.500	60.700
33	शिवहर	15000	48.000	25000	4.000	10000	1.500	53.500
34	सीतामढ़ी	25000	80.000	50000	8.000	30000	4.500	92.500
35	सिवान	25000	80.000	50000	8.000	30000	4.500	92.500
36	सुपौल	15000	48.000	35000	5.600	20000	3.000	56.600
37	वैशाली	35000	112.000	100000	16.000	50000	7.500	135.500
38	पश्चिमी चम्पारण	20000	64.000	75000	12.000	40000	6.000	82.000
	योग	**1025000**	**3280.000**	**2385000**	**381.600**	**1100000.00**	**165.000**	**3826.600**

(अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र)

निदेशक उद्यान, बिहार।

संजय कुमार सिन्हा

अनुसूची –3

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बागवानी विकास योजनान्तर्गत राज्य योजना मद से विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) योजना वर्ष 2025–26 की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण। (लाख रू० में)					
क्र० सं०	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (@78.537)	अनुसूची जाति (@20.00)	अनुसूची जनजाति (@1.463)	कुल वित्तीय
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	46.33683	11.80000	0.86317	59.000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	32.51432	8.28000	0.60568	41.400
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	79.00822	20.12000	1.47178	100.600
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	79.00822	20.12000	1.47178	100.600
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	192.02297	48.90000	3.57703	244.500
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	72.64673	18.50000	1.35327	92.500
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	46.25829	11.78000	0.86171	58.900
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	43.82365	11.16000	0.81635	55.800
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	61.49447	15.66000	1.14553	78.300
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	80.18628	20.42000	1.49372	102.100
11	सहायक निदेशक उद्यान, गया	80.18628	20.42000	1.49372	102.100
12	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	45.08024	11.48000	0.83976	57.400
13	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	45.08024	11.48000	0.83976	57.400
14	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	84.03460	21.40000	1.56540	107.000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	58.90275	15.00000	1.09725	75.000
16	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	37.38361	9.52000	0.69639	47.600
17	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	47.51489	12.10000	0.88511	60.500
18	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	47.51489	12.10000	0.88511	60.500
19	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	259.95747	66.20000	4.84253	331.000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	51.20612	13.04000	0.95388	65.200
21	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	61.33740	15.62000	1.14260	78.100
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	63.77204	16.24000	1.18796	81.200
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	81.28579	20.70000	1.51421	103.500
24	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	135.47632	34.50000	2.52368	172.500
25	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	88.98242	22.66000	1.65758	113.300
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	225.79388	57.50000	4.20612	287.500
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	77.51602	19.74000	1.44398	98.700
28	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	102.72639	26.16000	1.91361	130.800
29	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	47.51488	12.10000	0.88512	60.500
30	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	93.85172	23.90000	1.74828	119.500
31	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	86.62631	22.06000	1.61369	110.300
32	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	47.67195	12.14000	0.88805	60.700
33	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	42.01730	10.70000	0.78270	53.500
34	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	72.64672	18.50000	1.35328	92.500
35	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	72.64672	18.50000	1.35328	92.500
36	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	44.45194	11.32000	0.82806	56.600
37	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	106.41763	27.10000	1.98237	135.500
38	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	64.40034	16.40000	1.19966	82.000
	कुल	**3005.29684**	**765.32000**	**55.98316**	**3826.60000**

(अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र)

निदेशक उद्यान, बिहार।

संजय कुमार सिन्हा